न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 46 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

1. हीरालाल मेनारिया पिता स्व. खेमराज जी मेनारिया ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. बंशीलाल पिता स्व. खेमराज जी मेनारिया ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरिनारायण पिता स्व. खेमराज जी मेनारिया ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

दुर्गा हाऊसिंग सोसायटी, उदयपुर जरिये सदस्यगण

1. क्लासिक ऑटोमोबाईल्स प्रा.लि. जरिये महाप्रबन्धक श्री बसन्त कुमार बकालिया पिता स्व. मूलचन्द जी बकालिया, निवासी झामक कोटडा लिंक रोड़, सेक्टर नंबर 6, उदयपुर (राज.)
2. नरेशचन्द्र पिता श्री डी.के. शर्मा, निवासी उदयपुर (राज.)
3. मदनलाल विजयवर्गीय, निवासी उदयपुर (राज.)
4. कमला देवी पत्नी बालमुकन्द, निवासी उदयपुर (राज.)
5. कमला देवी पत्नी दलीचन्द जी शाहू, निवासी प्रभात नगर, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.)
6. गीता पंवार पत्नी मनोहरलाल जी पवार, निवासी 60, तुलसीनगर, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.)
7. मनोहरलाल पिता रामसिंह जी पवार, निवासी 60, तुलसीनगर, सेक्टर नंबर 5, उदयपुर (राज.)
8. मनोहरलाल पिता हीरालाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, उदयपुर (राज.)
9. दुर्गा देवी पुत्री हीरालाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, उदयपुर (राज.)
10. सूरज कुमार पिता हीरालाल जी मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, उदयपुर (राज.)
11. भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :– 1– श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री सुखलाल डिडेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3– श्री सु[illegible] अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6, 7

4– श्री क[illegible] रे.सं 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

(2) <u>प्रकरण संख्या 07/2021 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. शान्तिलाल पिता पूर्णचन्द्र जी सहलोत, निवासी सहेलीनगर, उदयपुर।
2. शंभूदत्त मठपाल पिता कृष्णानन्द जी मठपाल, निवासी उदयपुर (राज.)
3. अशोकसिंह पिता हरसुन्दरचन्दा जी, निवासी उदयपुर (राज.)
4. नाहरसिंह पिता मनोहरसिंह जी नलवाया, निवासी उदयपुर (राज.)
5. संजय कुमार पिता नाहरसिंह जी नलवाया, निवासी उदयपुर (राज.)
6. मिश्रीलाल पिता जसराम जी परिहार, निवासी चिरपालिया, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज.)
7. ओमप्रकाश पिता पुष्करलाल जी मुथा, निवासी उदयपुर (राज.)
8. सूर्यप्रकाश पिता मोहनसिंह जी वर्डिया, निवासी उदयपुर (राज.)
9. बृजमोहन सरेसिया पिता वीरमदेव जी सरेसिया, निवासी उदयपुर (राज.)
10. भंवरलाल पिता शंकर जी बडोरिया, निवासी कुराबड़, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
11. राजेश पोरवाल पिता श्यामलाल पोरवाल, निवासी उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती श्याम पत्नी अशोक जी मेहता, निवासी उदयपुर (राज.)
13. रमेशचन्द्र पिता नाथूलाल जी गांधी, निवासी उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती शारदा पत्नी नारायणलाल जी सुहालका, निवासी उदयपुर (राज.)
15. हुक्मराज पिता हनुमान जी मेहता, निवासी उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती पुष्पा पत्नी मनोज जी कोठारी, निवासी कानोड़, जिला उदयपुर।
17. कांतिलाल पिता अर्जुनलाल जी जैन, निवासी कानोड़, जिला उदयपुर।
18. प्रकाश कोठारी पिता मोहनलाल जी कोठारी, निवासी केलवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट संख्या 1 से 18 जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर अशोक कुार पिता हनुमानसिंह जी मेहता, निवासी उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. हीरालाल मेनारिया पिता स्व. खेमराज जी मेनारिया ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. बंशीलाल पिता स्व. खेमराज जी मेनारिया ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरिनारायण पिता स्व. खेमराज जी मेनारिया ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री कैलाशचन्द नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पुष्कर लोहर अभि... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 27.03.2018 प्रकरण संख्या 299/2012

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 25–04–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हीरालाल, बंशीलाल व हरिनारायण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी नंबर 840 से 842, 844 से 849 कुल किता 9 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 139 बिस्वा भूमि ग्राम पानेरियों की मादडी में स्थित है, जो पूर्व में वादीगण के पिता खेमराज के नाम अंकित थी तथा विरासत से नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 14–12–1976 से वादीगण के नाम दर्ज हुई है। तत्पश्चात वादीगण ने दिनांक 28–03–1980 को 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि मैसर्स दुर्गा हाउसिंग सोसायटी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जो वादीगण की कुलिया भूमि का 48/139 वां हिस्सा है, शेष हिस्सा वादीगण के पास ही है। उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 03–06–1980 खोला गया, जिसमें राजस्व कर्मियों द्वारा 139 बीघा की बजाय 129 लिख दिया एवं 48/129 हिस्सा दुर्गा हाउसिंग सोसायटी एवं 81/129 हिस्सा वादीगण के नाम रखा। इसके बाद में सेटलमेन्ट में 81/129 के बजाय 11/121 लिख दिया, जो गलत है। वादी संख्या 1 ने आराजी नंबर 345 व 1166 का 11/363 वां हिस्सा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को विक्रय कर दिया एवं शेष 1/2 हिस्सा (11/363 का आधा) प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार वादीगण के नाम कुलिया भूमि का 52/129 हिस्सा जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार 1.0800 हैक्टर में से वादीगण का 52 वां हिस्सा अर्थात 52 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, जिसके लिए वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः हाल आराजी नंबर 1166, 1344, 1345 रकबा 1.0800 हैक्टर में इन्द्राज दुरस्ती करायी जाकर वादीगण के नाम 81/129 वां हिस्सा दर्ज किया जाकर मौके पर विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

दौराने वाद कार्यवाही वादीगण द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कोई दाद नहीं चाहते हैं, जिससे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बंटवारे का वाद विड्रो किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद विड्रो कर धारा 88 एवं 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 27—03—2018 को वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया।

उक्त निर्णय व डिक्री से रूष्ट होकर वादीगण हीरालाल, बंशीलाल व हरिनारायण द्वारा अपील संख्या 46/2018 दिनांक 10—05—2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की तथा दूसरी अपील संख्या 07/2021 शान्तिलाल व अन्य द्वारा दिनांक 11—02—2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोनों ही प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा विवादित आराजियात समान होने से एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

जहां तक शान्तिलाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 7/2021 का प्रश्न है, अपीलान्टगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वह विवादित आराजियात के क्रेता हैं। दिनांक 22—01—2021 उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के [illegible] डिक्री की पूर्व में जानकारी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर [illegible] है। अतः न्यायहित में धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

चूंकि अपीलान्ट शान्तिलाल वगैरह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए उनके द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्टगण ने 6 बीघा 9 बिस्वा में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि दुर्गा हाउसिंग सोसायटी को विक्रय की एवं कुछ जमीन पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क व रेल्वे लाईन में चली गयी तथा शेष बची भूमि अपीलान्टगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। केवल मात्र जमीन रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज रह जाने से उनके द्वारा बिना अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत कर दिया, जिससे अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र एवं न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–12–2020 अनुसार अपीलान्टगण हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील संख्या 7/2021 के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट हीरालाल वगैरह ने 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि दुर्गा हाउसिंग सोसायटी को विक्रय की। इसके बाद साबिक आराजी नंबर 844 एवं 845 की अवाप्ति हो जाने से बची शेष 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण ने दिनांक 26–07–1982 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु क्रेताओं के जमीन खाते नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में सन् 2000 में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जो निरस्त हो जाने से आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो आप न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–2018 को रिमाण्ड की गयी, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत होने पर पुनः आप न्यायालय को रिमाण्ड की गयी, जिस पर आप न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 15–12–2020 को अपीलान्टगण की अपील स्वीकार कर हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 1344 रकबा 0.2900 हैक्टर एवं 1345 रकबा 0.3600 हैक्टर का खातेदार घोषित किया एवं रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया। रेस्पोन्डेन्टगण को सारे प्रकरणों की जानकारी होते हुए भी अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये झूठे आधारों पर वाद प्रस्तुत कर दिया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय आंशिक स्वीकार कर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि एवं अपनी अपील संख्या 46/2018 में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 1344 रकबा 0.2900 हैक्टर में वादीगण का 73/121 वां हिस्सा तो मान लिया है, किन्तु संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 1166 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1345 रकबा 0.3600 हैक्टर का अपने निर्णय में कोई हवाला नहीं दिया। इन दोनों आराजियात में अपीलान्टगण का जो 73/121 वां हिस्सा है, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि तीनों आराजियात में रेस्पोन्डेन्टगण का 48/121 वां हिस्सा तथा 73/121 वां हिस्सा अपीलान्टगण का है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्टगण का सम्पूर्ण वाद डिक्री किया जाकर आराजी नंबर 1166 व 1345 में भी अपीलान्टगण को 73/121 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा द्वारा इन्हीं आराजियात बाबत् पूर्व में अपील संख्या 7/2021 के अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 9/2019 उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 15–12–2020 को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी नंबर 844 व 845 से बने हाल आराजी नंबर 1344 रकबा 0.2900 हैक्टर एवं 1345 रकबा 0.3600 हैक्टर का खातेदार घोषित किया है, जिसकी कोई अपील रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। तद्नुसार न्यायालय हाजा का उक्त निर्णय व डिक्री आज भी प्रभाव में होने से शान्तिलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 7/2021 स्वीकार योग्य है, जबकि हीरालाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 46/2018 सारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार अपील संख्या 7/2021 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2018 अपास्त की जाती है तथा अपील संख्या 46/2018 सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

शान्तिलाल पिता पूर्णचन्द्र सहलोत, नि0 सहेली नगर, उदयपुर व अन्य — बनाम — **हीरालाल पिता स्व. खेमराज मेनारिया, ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.......**07/2021**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**27**..............माह..............**03**............**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**25**....माह........**04**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाशचन्द्र नागदा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री पुष्कर लौहार**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 27–03–2018 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**.......माह.......**04**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कु... अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

हीरालाल पिता स्व. खेमराज मेनारिया, ब्राहमण, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

दुर्गा हाउसिंग सोसायटी, उदयपुर जरिये क्लासिक ऑटोमोबाईल प्रा.लि. जरिये महाप्रबन्धक बसन्तकुमार, नि0 झामर कोटडा, सेक्टर नं. 6, उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......46/2018...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............27..............माह..............03............2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........25....माह........04....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....**श्री रोशनलाल जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री सुखराम डिडेल**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......25.......माह.......04..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर पक्षकार का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested